न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

विविध वाद सं0 – 222/2022 धारा 144 द0प्र0स0

विकास कुमार सिंह बनाम् बेनी माधव सिंह

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12/12/2022	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्नवत है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
रनपुरा	पु0 39 नया 62	पु0 16 नया 88	1.17 एकड़	जंगल	पत्थर	रोड	रोड
		पु0 56 नया 284	0.21 एकड़	हरिहर सिंह	रामचन्द्र सिंह मिंज	रोड	रोड
		पु0 56 नया 285	0.62 एकड़	हरिहर सिंह	रामचन्द्र सिंह मिंज	रोड	रोड

प्रथम पक्ष का कथन है कि पूर्व से रामचन्द्र सिंह एवं मटुकधारी सिंह के नाम से ऑफलाइन मांग चलते आया। बीच में हाल सर्वे हुआ वर्ष 1978, 79 में इस जमीन को खेती वास्ते वेनी माधव सिंह वगैरह को रामचन्द्र सिंह व मटुकधारी सिंह द्वारा दिया गया था। सर्वे वाले ने यही जो खेती वोया था उसकी व्यक्ति को दखल कब्जा चढ़ा दिया परन्तु पूर्व से वर्तमान तक मटुकधारी सिंह व रामचन्द्र सिंह का मांग चलते आया है। भूमि पर 1981–82 से दखल में भी पुनः हो गये जिसके वाद वर्तमान तक खतियानी रैयत के वंशज प्रथम पक्ष दखल कब्जे में है। पुराने खाता के अनुसार जो मांग पंजी के पृष्ठ संख्या 26/I पर रामचन्द्र सिंह व मटुकधारी सिंह पिता बद्री सिंह के नामें मांग कायम था के अनुसार ऑफलाइन मालगुजारी रसीद वर्ष 2016 तक प्रथम पक्षकार के गोतिया द्वारा मालगुजारी भुगतान कर रसीद प्राप्त किया है। पुराना खाता संख्या 64 की व पुराना प्लॉट संख्या 16 व 56 का हाल सर्वे में भी रामचन्द्र सिंह व मटुकधारी सिंह के नामें खाता खुला एव हाल सर्वे खाता संख्या 39 का इनदोनों के नामें है के अन्तर्गत ही नया प्लॉट संख्या 285, 88, 284 दर्ज हुआ है। मटुकधारी सिंह व रामचन्द्र सिंह के वशंज की यह भूमि है प्रथम पक्षकार उसी में से है परन्तु यह भूमि देख–रेख खेती आदि वर्तमान में कर रहे हैं परन्तु हिस्सा सभी को अपने–अपने तख्ता के अनुसार है।

द्वितीय पक्षकार का कहना है कि द्वितीय पक्ष का जमीन का खाता संख्या पुराना 39 एवं नया 19 है जिसमें सिड्यूल ए में दर्शाए गए सभी प्लॉट अंकित है। अपनी जमीन पर हर वर्ष सरकारी मालगुजारी रसीद सरकार को अदा करते आ रहे है। अतः धारा 144 द0प्र0स0 60 दिन पूर्ण हो गया है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

12.12.22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 12:56:38 +05:30
Location: 192.168.223.152